न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटमपुर, कानपुर देहात

मूल वाद सं० 97/2022

UPRN180015692022

बाबू सिंह बनाम अनिल कुमार आदि

दिनांक – 15/05/2025

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुलह समझौता हेतु अन्तर्गत धारा 89 सी०पी०सी० के लिए कहा गया परन्तु उनके द्वारा सुलह समझौता से मना किया गया और तनकीह बनाने पर बल दिया गया। उभय पक्ष को वाद बिन्दु विरचन पर सुना गया। उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखत वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु

1. क्या वादी वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी खाता सं० 00002 गाटा सं० 54 रकबा 0.0780 हे० स्थित ग्राम चतुरीपुर परगना व तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर के मालिक काबिज व दखीलकार हैं?
2. क्या वादी विक्रय पत्र दिनांकित 02/06/2022, जो उपनिबंधक कार्यालय घाटमपुर कानपुर नगर में बही सं० 1 जिल्द सं० 3673 के पृष्ठ सं० 45–58 तक क्रमांक 3117 पर दर्ज है, को शून्य घोषित करा पाने का अधिकारी है?
3. क्या वादी वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी खाता सं० 00002 गाटा सं० 54 रकबा 0.0780 हे० स्थित ग्राम चतुरीपुर परगना व तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है?
4. क्या वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अल्प मूल्यांकित है ?
5. क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?
6. क्या इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ?
7. क्या वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ ?
8. क्या वाद आदेश 7 नियम 11क के प्राविधानों से बाधित है?
9. क्या वाद आदेश 7 नियम 11घ के प्राविधानों से बाधित है?
10. क्या वाद धारा 206 राजस्व संहिता के प्राविधानों से बाधित है?
11. क्या वाद जाब्ता दीवानी की धारा 9 के प्राविधानों से बाधित है?
12. क्या वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के प्राविधानों से बाधित है?
13. क्या वादी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी हैं ?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है न ही पक्षकारों द्वारा इस स्तर पर बल दिया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई/ निस्तारण वाद बिन्दु सं० 4,5 व 6 लंच बाद पेश हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2025.05.15 16:40:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लंच बाद

2.50 बजे

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को वाद बिन्दु सं० 3 व 4 पर सुना गया। जिसका निस्तारण निम्नवत् है–

निस्तारण वाद बिन्दु सं० 6– वाद बिन्दु सं० 6 इस आशय का निर्मित किया गया है कि क्या इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया था, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, परन्तु प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि यह साबित होता हो कि प्रस्तुत वाद को सुनने का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध विवादित भूमि में प्रतिवादी को अवैध कब्जे से रोकने के लिए योजित किया गया है। विवादित भूमि ग्राम असधना परगना व तहसील घाटमपुर, जनपद कानपुर नगर में स्थित है। अतः वाद का कारण वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार इस न्यायालय के मत में वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। तदनुसार वाद बिन्दु सं० 6 का निस्तारण नकारात्मक रूप से किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं० 4 – वाद बिन्दु सं० 4 इस आशय का निर्मित किया गया है कि क्या वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अल्प मूल्यांकित है ?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर निर्मित किया गया था, जिसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर था, परन्तु प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि यह साबित होता हो कि वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है। अतः वादी द्वारा किया गया वाद का मूल्यांकन उचित पाया जाता है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं० 4 का निस्तारण नकारात्मक रूप से किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं० 5 – वाद बिन्दु सं० 5 इस आशय का निर्मित किया गया है कि क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?

उक्त वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिवचनों के आधार पर निर्मित किया गया था। वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादी के विरुद्ध वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है। वादी द्वारा विवादित मकान का मूल्यांकन सरकारी मालियत के आधार पर किया गया है तथा न्यायशुल्क अधिनियम की अनुसूची के नियमानुसार न्यायशुल्क का भुगतान किया गया है। अतः वादी द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क पर्याप्त पाया जाता है। तद्नुसार वाद बिन्दु सं० 5 का निस्तारण नकारात्मक रूप से किया जाता है।

पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 17/07/2025 को पेश हो।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562